फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

श्यामा/मोहनलाल

केस संख्या : 12/2024 (अप्रार्थीगण)

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	10/2/26	[illegible] पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार [illegible] द्वारा कार्य स्थगित किए जाने [illegible] पूर्वानुसार दिनांक 25/2/26 [illegible] हो।
	25/2/26	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थीगण अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 6/3/26 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
		~~पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार [illegible] द्वारा कार्य स्थगित किए जाने [illegible] पूर्वानुसार दिनांक [illegible] पेश हो।~~
	06/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। साक्ष्य के ठोस अभाव के कारण प्रा0पत्र आदेश 39 नियम 2 ए सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या– 12/2024

1. श्यामा पत्नी श्री सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. मुकेश कुमार पुत्र सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहन लाल चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. सुरेश कुमार मीणा पुत्र श्री छीतरमल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. कजोडमल पुत्र श्री सुण्डाराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम नांगल सिरस, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

<u>अवमानना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (ए) सपठित धारा 151 सी.पी.सी.</u>

:: निर्णय ::

दिनांक 06.03.2026

यह अवमानना प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण (श्यामा व मुकेश कुमार) द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या 40/2021 (अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम) में दिनांक 06.07.2021 को एक अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश द्वारा उभयपक्षकारान को विवादित भूमि खसरा नं. 763/1043 एवं 763/1011 (स्थित ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा) में "यथास्थिति" (Status Quo) [illegible] तथा "चालू रास्ते" के उपयोग में कोई बाधा उत्पन्न न करने हेतु पाबंद किया गया था।

प्रार्थीगण का आरोप है कि [illegible] होने के बावजूद, अप्रार्थीगण ने दिनांक 23.02.2024 को जबरन विवादित भूमि पर [illegible] खोदकर रोड डालने का प्रयास किया और निर्माण सामग्री डालकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की। प्रार्थीगण के अनुसार, अप्रार्थीगण ने स्थगन आदेश को मानने से इनकार किया और उन्हें धमकी दी। अतः उन्हें सिविल कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र बाबत अवमानना प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0एए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद अनुपस्थित रहने पर दिनांक 17.06.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–1 एवं फोटोग्राफ्स पेश किये।

प्रार्थी की बहस सुनी गई। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, शपथ पत्रों और मुख्य परीक्षण के बयानों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया।

1. प्रार्थीगण द्वारा घटना के समय की कोई स्वतंत्र गवाही या राजस्व अधिकारी (पटवारी/गिरदावर) की 'मौका रिपोर्ट' प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि विवादित खसरे पर कोई नया निर्माण हुआ है।
2. प्रार्थीगण ने फोटोग्राफ्स तो पेश किए हैं, परंतु उन चित्रों से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होता कि वे किस निश्चित तिथि के हैं और क्या वे वास्तव में उसी स्थान के हैं जहाँ न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी था। बिना डिजिटल साक्ष्य (Evidence) के प्रमाणन के, केवल फोटो के आधार पर अवमानना जैसा गंभीर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है।
3. दिनांक 06.07.2021 का आदेश स्पष्ट रूप से "चालू रास्ते" के उपयोग में बाधा न डालने और "यथास्थिति" बनाए रखने का था। प्रार्थीगण यह साबित करने में विफल रहे हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा किया गया कथित कृत्य (रोड डालना) उस "यथास्थिति" का उल्लंघन है या वह "चालू रास्ते" के सुधार का कार्य था। अवमानना की कार्यवाही में "जानबूझकर की गई अवहेलना" का तत्व अनिवार्य है, जो यहाँ संदेहास्पद है।
4. मुख्य परीक्षण के दौरान प्रार्थीगण ने केवल सामान्य आरोप दोहराए हैं, परंतु अप्रार्थीगण की व्यक्तिगत भूमिका और मौके पर मौजूद अन्य व्यक्तियों के विवरण के संबंध में साक्ष्य अत्यंत कमजोर और विरोधाभासी हैं।
5. अवमानना की कार्यवाही एक अर्ध–न्यायिक (Quasi-judicial) प्रक्रिया है, जिसमें "जानबूझकर की गई अवहेलना" (Willful Disobedience) को संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक होता है। प्रार्थीगण ने यह आरोप तो लगाया है कि रोड डालने का प्रयास किया गया, परंतु मौके की वर्तमान स्थिति और अप्रार्थीगण की संलिप्तता के संबंध में कोई भी निष्पक्ष साक्ष्य (मौका रिपोर्ट या राजस्व रिपोर्ट) प्रस्तुत नहीं की गई है। दिनांक 06.07.2021 का आदेश "यथास्थिति" और "चालू रास्ते" को निर्बाध रखने का था। पत्रावली से यह स्पष्ट नहीं होता कि अप्रार्थीगण द्वारा किया गया कथित कृत्य किस प्रकार से उस "चालू रास्ते" को बाधित कर रहा था,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:44 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

जिसका उल्लेख मूल आदेश में है। केवल मौखिक आरोपों और अस्पष्ट फोटोग्राफ्स के आधार पर अवमानना का दोष सिद्ध नहीं माना जा सकता।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचना और तथ्यों के प्रकाश में, इस न्यायालय का यह मत है कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरुद्ध न्यायालय के आदेश की "जानबूझकर अवहेलना" सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। साक्ष्यों में उपलब्ध विसंगतियां और ठोस प्रमाणों का अभाव इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने योग्य नहीं बनाता। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अवमानना प्रार्थना पत्र (अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2–ए सी.पी.सी. सपठित धारा 151) गुण–दोष के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:44 IST
Reason: SelfAttested